न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 33 / 2025

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. रुघाराम पुत्र वींजाराम वयस्क 2. किरताराम पुत्र खेताराम वयस्क 3. जोगाराम पुत्र खेताराम वयस्क 4. थानाराम पुत्र खेताराम वयस्क 5. माडूदेवी पत्नी खेताराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।		1. खेमाराम पुत्र दुर्गाराम वयस्क 2. हेमीदेवी पत्नी दुर्गाराम वयस्क 3. नथूदेवी पत्नी खुमाराम वयस्क 4. पुरोदेवी पत्नी टीकूराम वयस्क 5. कंवराराम पुत्र खेमाराम वयस्क 6. रामाराम पुत्र खेमाराम वयस्क 7.नोजीदेवी पत्नी खेमाराम वयस्क 8.भोमाराम पुत्र नानगाराम वयस्क 9. रुपाराम पुत्र नानगाराम वयस्क 10. रेखाराम पुत्र भेराराम वयस्क 11. रामाराम पुत्र भेराराम वयस्क 12.धनाराम दत्तक पुत्र खेराजराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा 13.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश **दिनांक** 24.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का– डोडू में ग्राम पोटलियों की ढाणी के खसरा संख्या 1626 रकबा 2.0306 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा

सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का– छोडू में ग्राम पोटलियों की ढाणी के खसरा संख्या 1626 रकबा 2.0306 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का– छोडू में ग्राम पोटलियों की ढाणी के खसरा संख्या 1626 रकबा 2.0306 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार हल्का– छोडू में ग्राम पोटलियों की ढाणी के खसरा संख्या 1626 रकबा 2.0306 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया तहसील सिणधरी पटवार हल्का- छोडू में ग्राम पोटलियों की ढाणी के खसरा संख्या 1626 रकबा 2.0306 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील [illegible] नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश करते लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:17 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार हल्का- छोडू में ग्राम पोटलियों की ढाणी के खसरा संख्या 1626 रकबा 2.0306 हैक्टेयर भूमि

के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:17 IST
Reason: SelfAttested